

उप मुख्यमंत्री, बिहार का कार्यालय कोषांग  
(पथ निर्माण, भवन निर्माण, पिछड़ा एवं  
अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग)  
गै०स०प्रे०सं०..... 1225  
दिनांक..... 07/06/17

(पीत पत्र के बदले में)

03

श्री आचार्य विद्यासागर तिवारी, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी, उत्तर प्रदेश एवं  
श्री बेचन झा, ग्राम+पो0- रुद्रपुर, जिला- मधुबनी से सूचना का अधिकार अधिनियम,  
2005 के तहत प्राप्त आवेदन मूल रूप में संलग्न है।

श्री तिवारी द्वारा आवेदन में माँगी गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं  
है और यह सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत स्वीकार योग्य भी नहीं है। इसी  
प्रकार श्री बेचन झा द्वारा जिस आवेदन के क्रम में सूचना की माँग की जा रही है, वह  
इस कार्यालय में प्राप्त नहीं है।

अतएव सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत  
उक्त दोनों आवेदनों का निष्पादन करने का कष्ट किया जाय।

अनुलग्नक: यथोक्त।

SSC/सं० 710 (अ.उ.)  
7-6-17

06/06/17

(प्रीतम कुमार)

उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव,  
बिहार सरकार, पटना

अतिरिक्त  
06/06/17

सं० 710

उप निदेशक (क्रय एवं परि०)-सह-  
लोक सूचना पदाधिकारी,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

07/6/17

~~श्री तिवारी~~  
8/6/17

माननीय- उपमुख्यमंत्री महोदयः  
विहार - सरकार  
पटना - विहार

विषय:- श्रीमान् जी दिनांक 23-8-03 की तैयारी सूचना पदाधिकारी सह  
अनुमंडल पदाधिकारी दानापुर से भोजपुरी टिपिक जॉन्च कराने का आदेश  
पोरित कर एक प्रमाणित प्रति- मानवता आधिकार आधिनियम के तहत एक प्रति  
प्राची- का भी दिया जाय यह आप की महान कृपा होगी  
प्राची के भागों है कि -

आर.डी- विद्यासागर तिवारी सेक्वे. सुरक्षा-वक्त ही एवट टी.ई.कम्पनी  
पुर्व मध्य सेक् दानापुर मंडल दिनांक 23-8-03 समय 15/45 पर (टी.ए.)  
केवल व टिपिकोन् डिपुटी पर तैयारी दिनांक 24-8-03 समय 00/0 पर  
कार्य मुक्त हुए है कि -

भोजपुरी महोदयः [ अनुमंडल पदाधिकारी दानापुर से ] विहार सरकार से  
उपरोक्त डिपुटी की जॉन्च कराने - मानवता आधिकार आधिनियम के तहत एक  
प्रमाणित प्रति प्राची के देने का कृपा की जाय यह आप की आति महान कृपा होगी/  
श्रीमान् जी आप से प्राची राज किशोर दिक्षित प्रधान-चार्य ग्राम पी. अमला वना  
कटवावाजार जिह्वा- गोपाकगंम- विहार की- पुर्व भाग पर- अमक आदेश पर जिह्वा पदा  
दिनांक का कार्य- पटना समाहरणालय पत्ता (लेक सूचना नोवांग) जापाक 968  
28-11-16- अनुमंडल पदाधिकारी दानापुर की- आदेश पोरित किए उपरोक्त जॉन्च हेतु  
ग्राही पर- 2005 मुन्ना आधिनियम तहत निधि सम्मत नहीं-  
तथा उसपर अधोस्तराक्षरी के स्तर से किसी सूचना की जागी नहीं की गयी है

क- अधोस्तराक्षरी - श्रीकेन्द्र कुमार जी- उप निदेशक, पब्लिसिटी विभाग सह के- सु-पदा-  
ने भी एक प्रति की मांग की थी

ख- क्या अधोस्तराक्षरी - राज किशोर दिक्षित प्रधान-चार्य के मानव है जो आचार्य-  
विद्यासागर तिवारी के एक प्रति देने की आप से प्रार्थना किए थे

ग- एक मा- मुख्य मंत्री महोदयः के आदेश पर- विमलेश कुमार ई- सरकार के उप सचिव आचार्य-  
विद्यासागर तिवारी के दरवाहा पर - एक जॉन्च की प्रति आचार्य- विद्यासागर तिवारी के  
व एक विगलेश कुमार से स्वयं माग किए थे

घ- अधोस्तराक्षरी- पत्ता समाहरणालय- (लेक सूचना नोवांग) ने भी एक कपी माग थी -  
उपमुख्यमंत्री महोदयः कार्यलय - मुख्य मंत्री महोदयः का आदेश का अनुपालन ही किए नहीं है  
श्रीमान् जी सभी कागजात - मे सभी ने एक प्रति का माग की है

अनुमंडल पदाधिकारी महोदयः दानापुर - लेक नकारात्मक भावना स्वरूप जॉन्च  
नहीं किए है - जापाक 967 भी उनके पास गये है

इसी लिए श्रीमान् अवश्य- आचार्य विद्यासागर तिवारी आप के पास प्रार्थना  
पत्र भेज रहे है और आशा कर रहे है कि इस बार- आप के आदेश से उपरोक्त दिनांक  
23-8-03 की जॉन्च की एक प्रति अवश्य प्राप्त होगी इसी लिए आप से स्वीच  
जॉन्च करती - अनुमंडल पदाधिकारी महोदयः दानापुर को आदेश पत्र भेजने का प्रार्थना  
कर रहे है उपरोक्त प्रार्थना पत्र- मानवता आधिकार से प्रेषित है -

अब दिनांक 23-8-03 की जॉन्च होगी - इसकी एक प्रमाणित सूचना पदाधिकारी  
आधिनियम 05 से माग है - 102 फेस सामने - फौरन की तैयारी प्रार्थना की होगी तैयारी -  
अतः श्रीमान् जी से आशा है कि पुन विचार भी है कि दिनांक 23-8-03 की  
जॉन्च की एक प्रति प्राची के अवश्य प्राप्त होगी// प्राची -

आचार्य- विद्यासागर तिवारी  
केन्द्रीय कारागार वाराणसी उत्तर प्रदेश

दिनांक - 6/5/17



प्रपत्र 'घ'  
(सूचना उपलब्ध कराना)

(नियम 4 (1) देखें)

बिहार सरकार  
पथ निर्माण विभाग

पत्र संख्या:-लो.सू.को./आई0डी0सं0-70/17-18- 2980 (E) पटना, दिनांक-15/6/17

प्रेषक,

शैलेन्द्र कुमार,  
उप निदेशक (क्रय एवं परि०)-सह-लो०सू०पदा०,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

स्पीड पोस्ट

सेवा में,

श्री आचार्य विद्यासागर तिवारी,  
केन्द्रीय कारागार, बाराणसी (उ०प्र०)।

महाशय,

यह आपके सूचना-आवेदन दिनांक-06.05.2017, जो उप मुख्य (पथ निर्माण) मंत्री के कोषांग में दिनांक-07.06.2017 को प्राप्त हुआ है, (आई0डी0सं0-70/17-18-) सूचना की माँग के लिए अनुरोध के प्रसंग में है।

2. सूचना आवेदन के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आपके द्वारा याचित सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-2(च) के तहत परिभाषित सूचना की श्रेणी में नहीं आता है। फलतः वांछित सूचना उपलब्ध कराना संभव नहीं है।

पथ निर्माण विभाग  
कम्प्यूटरीकृत निर्गत  
पंजीयन संख्या.....

कृपया सूचनार्थ।

विश्वासभाजन,  
14-6-17  
(शैलेन्द्र कुमार)